



प्रेस नोट

दिनांक 30.05.2025

थाना मुस्करा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुस्करा पुलिस द्वारा अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ अजय उर्फ वोल्टेज पुत्र भगवान दास को मलखान डेरा के पास स्थित तिराहा ग्राम शिवनी के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 110/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 08.05.2025 मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में पूर्व में थाना स्थानीय पर को मु0अ0सं0 83/25 धारा 305 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें अभि0 ब्रजपाल उर्फ अजय उर्फ वोल्टेज पुत्र भगवान दास प्रकाश में आया था। उक्त मुकदमे में धारा 303(2)/3(5)/317(2) BNS की बढोत्तरी करते हुये अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ अजय उर्फ वोल्टेज पुत्र भगवान दास (उम्र करीब 27 वर्ष) निवासी ग्राम बिलगांव थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 110/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 143/22 धारा 380/411 भा0द0स0 थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर
3. मु0अ0सं0 131/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 रामशिरोमणि
2. का0 प्रदीप कुमार शर्मा
3. का0 प्रसून पाण्डेय

